रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 22, 2018/चैत्र 1, 1940
No. 168] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 22, 2018/CHAITRA 1, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2018

सा.का.नि. 263(अ).—कुछ शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों इत्यादि में वायु प्रदूषण बढ़ा है, जिसका नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के मानक आकड़ों के अनुसार NO2 के प्रदूषण और धूल कण (पी एम) में वृद्धि हुई है। वायु प्रदूषण की गम्भीरता, जिसका मानव जनसंख्या पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इस मामले की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लोक परामर्श के अधित्यजन का निर्णय किया है और पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 4 के उपनियम (5) के साथ पठित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की 6 और 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:-(**1) इन नियमों का नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख को पृवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-I में क्रम संख्या 106 और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तर्विष्ट की जाएंगी, अर्थात्

क्रम.सं.	औद्योगिक क्षेत्र का प्रकार	मानक	
		SO_2(mg/Nm^3)	NOx (mg/Nm^3)
"107	सेरेमिक*	400	600
108	फाउंड्री** (ईंधन पर आधारित भट्टियां)	300	400
109	शीशा***	प्राकृतिक गैस जलाने के लिए 500 अन्य ईंधनों के लिए 1500	1000
110	चूना भट्टा****	400	500
111	पुनः तापन भट्टी****	300	1000".

टिप्पणी :

*राजपत्र सं.202, दिनांक 5 मई, 1992 में प्रकाशित दिनांक 5 मई, 1992 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 475 (अ) द्वारा अधिसूचित स्टैक ऊँचाई मापदंड को पूरा किया जाना अपेक्षित है।

**राजपत्र सं 365, दिनांक 30 अगस्त, 1990 में प्रकाशित दिनांक 30 अगस्त, 1990 की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 742(अ) द्वारा अधिसूचित स्टैक ऊँचाई मापदंड को पूरा किया जाना अपेक्षित है।

***राजपत्र सं 79 दिनांक 27 फरवरी, 1991 में प्रकाशित, दिनांक 21 फरवरी, 1991 की सा.का.नि. 93 (अ) द्वारा अधिसूचित स्टैक ऊँचाई मापदंड को पूरा किया जाना आवश्यक है।

****चूना भट्टे यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टैक की न्यूनतम ऊंचाई, समय-समय पर यथा संशोधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार हो और एसपीसीबी/पीसीसी के संबंधित निदेशों का पालन किया जाए। स्टैक की ऊंचाई, यदि वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर अपेक्षित हो, तो केवल सम्बद्ध एसपीसीबी / पीसीसी द्वारा ही, ऐसे भट्टों के आस-पास के वासस्थान को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाएगी।

*****एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा यथा निर्धारित स्टैक ऊंचाई के मापदंड का पालन किया जाना अपेक्षित है।

[फा. सं. क्यू-15017/41/2017-सीपीडब्ल्यू]

डॉ. ए. सेंथिल वेल , वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पणी: मूल नियम, का.आ. संख्या 844 (अ) दिनांक 19 नवम्बर, 1986 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 29 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सा.का.नि. 96 (अ) द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2018

G.S.R. 263(E).—There is increase in air pollution in some of the cities, industrial areas, etc. which has adverse impact on the heath of the citizens. As per the ambient air quality standard data there is increase in NO_2 pollution and increase in particulate matter. Taking into account the seriousness of air pollution that has direct impact on the human population, and urgency in the matter, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change hereby has decided to waive of the public consultation and in exercise of powers conferred by sections 6 and 25 of Environment Protection Act, 1986 (29 of 1986) read with sub rule (5) of rule 4 of the Environment Protection Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment Protection Rules, 1986, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in the Schedule-I, after serial number 106 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

SI. No.	Type of Industrial Sector	Standards	
		SO_2 (mg/Nm^3)	NOx (mg/Nm^3)
"107	Ceramic*	400	600
108	Foundry Industries ** (Furnaces based on Fuel)	300	400
109	Glass***	500 for natural gas firing 1500 for other fuels	1000
110	Lime Kiln****	400	500
111	Reheating furnace*****	300	1000''.

Note:

* It is required to meet stack height criteria publication vide notification number G.S.R 475 (E), dated the 5th May, 1992 published in Gazette No. 202 dated 5th May 1992.

**It is required to meet stack height criteria publication vide notification number G.S.R. 742 (E), dated the 30th August,1990 published in Gazette No. 365 dated 30th August, 1990.

***It is required to meet stack height criteria publication vide notification number G.S.R 93 (E), dated 21st February, 1991 published in the Gazette No. 79 dated the 27th February, 1991.

****The lime kiln shall ensure that the minimum stack height is in accordance with Environment Protection Act, 1986 as amended from time to time and relevant direction of SPCBs / PCCs shall to adhere to. It shall be the concerned SPCB / PCC to increase the stake height, if required based on the scientific studies, keeping in view the habitations around such lime kilns.

*****It is required to meet stack height criteria publication as prescribed by SPCBs/PCCs.

[F.No. Q-15017/41/2017-CPW]

DR. A. SENTHIL VEL, Scientist 'G'

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended vide notification G.S.R. 96(E), dated the 29th January, 2018.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2018.03.28 22:27:40 +05'30'